न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
114/2021 (GCMS 2021/114)	18.11.2021	25.05.2022

उनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

श्री रमेश न्याति पुत्र सत्यनारायण न्याति निवासी सावा चौराहा, शम्भूपुरा, विक्रेता एवं मालिक न्याति सेल्स, सावा चौराहा, शम्भूपुरा

अप्रार्थी

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मीकान्त गुप्ता ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुस्तगीस अधिसूचित खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहा है, और इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **H/FSSA/Notification/2011/497 Dated 06-09-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 937 दिनांक 26.11.2020

के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया है और जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.12.2020 को समय 11.00 ए.एम. पर दौरान निरीक्षणार्थ श्री रमेश न्याति पुत्र सत्यनारायण न्याति निवासी निवासी सावा चौराहा, शम्भूपुरा, विक्रेता एवं मालिक न्याति सेल्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संस्थान पर मालिक श्री रमेश न्याति पुत्र सत्यनारायण न्याति कारोबार कर रहा था जिसने स्वयं को विक्रेता एवं मालिक होना बताया जिसे अपना परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने अनुज्ञा पत्र होना बताया। निरीक्षणार्थ दुकान में रिफाइन्स सोयाबीन तेल गर्ग गोल्ड ब्राण्ड 500 एम. एल. की पैक बोतलों की कुल 20 बोतलें खाद्य प्रदार्थ के रूप में विक्रय कर रहा था। शुद्धता की जांच हेतु विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति नमूना सूचनार्थ तैयार कर गवाहान व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाके फार्म संख्या 5ए की एक प्रति मौके पर विक्रेता एवं मालिक को दी और प्राप्ति रसीद ली जो संलग्न है। तत्पश्चात् रिफाइन्स सोयाबीन तेल गर्ग गोल्ड ब्राण्ड 500 एम. एल. की पैक 20 बोतलों में से 04 बोतलें जांच के लिए, जिसके पेटे 200/–रूपए नकद देकर गवाहान, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ रिफाइन्स सोयाबीन तेल गर्ग गोल्ड ब्राण्ड 500 एम. एल. की 04 पैक बोतलों को चार बराबर–बराबर भागों मे बांट कर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल चिपकाये एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सीरियल नम्बर ए. एम.–1290 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप ए. एम.–1290 नियमानुसार चारों नमूनों पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार व गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे एवं नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को मौके पर पढ़ाकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक

नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर पत्रवाहक महेन्द्र सिंह, सहायक कर्मचारी द्वारा दिनांक 21.12.2020 को खाद्य विश्लेषक उदयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक उदयपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो दोनों न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी. ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओ (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/62 दिनांक 05.01.2021 द्वारा ज्ञात हुआ कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया। जाँच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक 62 दिनांक 05.01.2021 की पालना में डीओ (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2021/4084 दिनांक 04.10.2021 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्त ने मिसब्राण्डेड रिफाइन्स सोयाबीन तेल गर्ग गोल्ड ब्राण्ड का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 मे निर्धारित है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत है जिसे स्वीकार कर उक्त अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सके।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में गवाहान की शहादत हेतु शहादत सूची प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है। शहादत सूची के अनुसार गवाह संख्या 1 लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़, गवाह संख्या 2 शम्भूदयाल व्यास, पुत्र जगदीश चन्द्र, निवासी 196 शास्त्रीनगर, चित्तौड़गढ़ गवाह संख्या 3 हरीश कुमार शर्मा पुत्र रतन लाल शर्मा, सरस डेयरी, चित्तौड़गढ़ गवाह संख्या 4 डॉ0 रामकेश गुर्जर, अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

अधिकारी चित्तौड़गढ़। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली होकर रेकार्ड पर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री के. जी. गदिया ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। उभय पक्ष के बहस हेतु सहमत होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी का मुख्य कथन यह रहा कि रिफाइन्स सोयाबीन तेल गर्ग गोल्ड ब्राण्ड की चार बोतल सेम्पल के लिए लेना स्वीकार है लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कुछ खाली कागजों पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर करवाकर चले गऐ मौके पर किसी प्रकार की कोई फर्दे तैयार नहीं की गई एवं न ही किसी प्रकार का मौका पर्चा बनाया। प्रार्थी द्वारा क्या–क्या प्रक्रियाऐं अपनाई गई इसकी जानकारी अप्रार्थी को नहीं है। जो सेम्पल प्रयोगशाला उदयपुर में भेजा गया उसकी प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पेरामीटर्स के अनुसार सही पाया गया है तेल में किसी प्रकार की मिलावट नहीं है जहां तक तेल मिसब्राण्ड होने का प्रश्न है उसके लिए विक्रेता जिम्मेदार नहीं होकर निर्माता कम्पनी जिम्मेदार है जिसकी जानकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को होते हुए भी निर्माता कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अप्रार्थी उक्त तेल का न तो निर्माता है और न ही विक्रेता है अप्रार्थी के द्वारा मात्र तेल विक्रय किया जा रहा था। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जाकर प्रकरण खारिज फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने के लिये अधिकृत है जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 1 से 3 तक से होती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 5 एवं 6 फार्म नंबर 5 ए एवं नमूना क्रय रसीद की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ रिफाइन्स सोयाबीन तेल गर्ग गोल्ड ब्राण्ड का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर अप्रार्थी एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 6 से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर है, अतः अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन कि मौके पर कोई फर्द रिपोर्ट व मौका पर्चा नहीं बनाया तथा खाली

कागज पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के हस्ताक्षर करवा लिये मानने योग्य नहीं है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 7 से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 18.12.2020 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 7 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 18.12.2020 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ रिफाइन्स सोयाबीन तेल गर्ग गोल्ड ब्राण्ड जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1290** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 80 से सील चपडी किया। इससे स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 9 फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पत्रवाहक महेन्द्र सिंह के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **AM-1290** मय लिफाफे के जमा कराये गये जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 9 से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 10 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि पत्रवाहक महेन्द्र सिंह द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 21.12.2020 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद दस्तावेज क्रमांक 8 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 11 के अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2020/62 दिनांक 05.01.2021 से अप्रार्थी को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 413/ACT/2020/422 Dated 30-12-2020** की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 413/ACT/2020/422 Dated 30-12-2020** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट एवं मतानुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत गुप्ता द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 80 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक को प्राप्त हुआ, उक्त नमूना दिनांक 24.12.2020

से 30.12.2020 तक जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **The sample of Ref. Soyabean Oil (Garg Gold) bearing code no. and serial no. AM-1290 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O., of District Chittorgarh Is misbranded food. The sample is misbranded Food under section 3(1)(Zf)(C)(i) of the Food Safety and Standards Act 2006.** उक्त नमूना जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1290** रिफाइन्स सोयाबीन तेल गर्ग गोल्ड ब्राण्ड खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(Zf)(C)(i)** के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) स्तर का पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट पत्रांक/एफएसएसए/2020/62 दिनांक 05.01.2021 से अप्रार्थी को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2021/4084 दिनांक 04.10.2021 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(e) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है जो कि दस्तावेज क्रमांक 12 अभियोजन स्वीकृति होकर रिकार्ड पर है एवं जहां तक अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि निर्माता कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि कार्यवाही के दौरान जिस खाद्य पदार्थ का नमूना लिया जाता है उसी समय मौके पर अथवा बाद में उक्त खाद्य पदार्थ का खरीद बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है जबकि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्माता कम्पनी से उक्त खाद्य प्रदार्थ क्रय करने संबंधी बिल/इनवॉयस की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे निर्माता कम्पनी को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप (मिसब्राण्ड) है। इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है एवं निर्माता को निर्माण/पैकिंग के समय ही लेबल पर नियमानुसार सभी आवश्यक पूर्तियां करनी चाहिये थी, अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है अथवा नहीं, किन्तु इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है।

अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षी/अप्रार्थी जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के निर्माता/विक्रेता है जिससे अप्रार्थी श्री रमेश न्याति पुत्र सत्यनारायण न्याति निवासी सावा चौराहा, शम्भूपुरा विक्रेता एवं मालिक न्याति सेल्स, सवा चौराहा शम्भूपुरा को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अधिनियम की धारा 52 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। अतः हमने पत्रावली का अवलोकन कर अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अतः अधिनियम की धारा 49 एवं 52 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने से अभियुक्त श्री रमेश न्याति पुत्र सत्यनारायण न्याति निवासी सावा चौराहा, शम्भूपुरा विक्रेता एवं मालिक न्याति सेल्स, सवा चौराहा शम्भूपुरा को राशि 5000/– अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गितेश श्री मालवीय)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़